

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक

/

/2020

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र दिनांक 27/10/2020 एवं 28/10/2020 के दौरान निरंतर प्रभावी कोरोना वायरस COVID-19 के मद्देनजर सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की दृष्टि से एवं सचिवालय में अधिकारी/कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की दृष्टि से शाखा प्रभारी अधिकारी द्वारा जिन अधिकारी/कर्मचारियों को सत्रावधि में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई है, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय नहीं आयेंगे। किन्तु उनके अधीनस्थ कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा स्थापना शाखा में अपनी उपस्थिति देंगे।

आदेश से,


अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 10993 /वि.स./स्था./2020
प्रतिलिपि

रायपुर, दिनांक 23/10/2020

01. मा. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मा.नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मा.उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा.उपाध्यक्ष महोदय सूचनार्थ।
04. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- ✓06. सर्वर कक्ष।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा